न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2340/2006/चितौडगढ

1. चान्द खां
2. फेयाज खां
3. मुबारिक खां पुत्रगण अजीमबेग पठान
   निवासीगण बेगू हाल कुलाटिया तहसील बेगू जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, वन विभाग, चितौडगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चितौडगढ
3. तहसीलदार, बेगू
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बेगू जिला चितौडगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री अयूब खां, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री रमजान मोहम्मद, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 20.05.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, बेगू के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध घोषणा वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा कुलाठिया की बिलानाम आराजी नम्बर 51 रकबा 07बीघा दिनांक 09–05–1972 को वादीगण के पिता अजीम खां के नाम आवंटित हुई थी तथा मौके पर हल्का पटवारी ने आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को दिया, तभी से उक्त आराजी पर आवंटी एवं तत्पश्चात् वादीगयण काबिज काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 40 रकबा 09बीघा 02बिस्वा बना कर राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया जबकि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः उक्त विवादित आराजी वन विभाग के खाते से हटाई जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी प्रत्यर्थी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर चार तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30–09–2004 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगू द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण अपीलार्थीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 30–12–2005 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 07बीघा भूमि वादीगण के पिता को दिनांक 09–05–1972 को आवंटित हुई थी और मौके पर विवादित भूमि का भौतिक धारण भी आवंटी को सम्भला दिया गया था, जिस पर आवंटी तत्पश्चात् अपीलार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त है। उनका कथन है कि वक्त आवंटन विवादित आराजी वन विभाग हेतु आरक्षित भूमि नहीं थी, ना ही राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि वन विभाग की थी। भू–प्रबन्ध विभाग ने मनमाने ढग से आवंटन के उपरान्त विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में वन विभाग का इन्द्राज कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि वक्त आवंटन विवादित आराजी बिलानाम सरकार सिवायचक राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जिसका नियमानुसार आवंटन अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में वर्ष 1972 को किया गया था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 439बीघा 05बिस्वा भूमि राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 1–6–1974 से वन खण्ड हेतु आरक्षित घोषित की गयी थी, जिस पर वादीगण को कब्जा देने का अधिकार

पटवारी को नहीं है। उनका कथन है कि वादीगण अन्य स्थान पर हुए आवंटन की आड में वन भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे है। उनका कथन है कि गत खसरा नम्बर 51 रकबा 07बीघा की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 40 में शामिल नहीं की गयी है। नवीन खसरा नम्बर 40 गत खसरा नम्बर 6 मिन, 50मिन व 52 से बनाया गया है। उनका कथन है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने अपनी दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर आवंटन उपरान्त निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं कराया गया है। उनका कथन है कि आवंटन की पालना में अपीलार्थीगण के पूर्वज का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में केवल मात्र आवंटन आदेश के आधार पर अपीलार्थीगण का विवादित आराजी पर कोई हक व स्वत्व निहित होना नहीं माना जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, बेगू के न्यायालय में प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध घोषणा वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा कुलाठिया की बिलानाम आराजी नम्बर 51 रकबा 07बीघा दिनांक 09-05-1972 को वादीगण के पिता अजीम खां के नाम आवंटित हुई थी तथा मौके पर हल्का पटवारी ने आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को दिया, तभी से उक्त आराजी पर आवंटी एवं

तत्पश्चात् वादीगयण काबिज काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर 40 रकबा 09बीघा 02बिस्वा बना कर राजस्व रिकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज कर दिया जबकि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः उक्त विवादित आराजी वान विभाग के खाते से हटाई जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जावे। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण अपीलार्थीगण के पिता अजीम खां को प्रदर्श–3 आवंटन आदेश एवं प्रदर्श–1 कब्जा सुपुदर्गी अनुसार साबिक आराजी नम्बर 51 रकबा 07बीघा ग्राम कुलाटिया की भूमि दिनांक 09–05–1971 को आवंटित किया जाना स्पष्ट होता है परन्तु साबिक खसरा नम्बर 51 के हाल खसरा नम्बर 40 बनना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है। हाल खसरा नम्बर 40 साबिक खसरा नम्बर 6मिन, 50मिन व 52मिन से मिलाकर कायम किया गया जबकि साबिक खसरा नम्बर 51 रकबा 298 बीघा 13बिस्वा झाडीदार वन जमाबन्दी सम्वत् 2013 में दर्ज था। प्रदर्श–4 नक्श ट्रेस से भी स्पष्ट नहीं होता कि वादीगण के पिता को किस जगह या किन पडौसों के बीच की भूमि पर कब्जा दिया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का वर्तमान आराजी नम्बर 40 रकबा 09बीघा 02बिस्वा पर कब्जा काश्त होना भी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में कायम की गयी तनकी संख्या–1 व 2 को वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 प्रदर्श–पी–17 से विवादित भूमि वनखण्ड हेतु आरक्षित है, जिस पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विवादित आराजी के आवंटन उपरान्त आवंटित भूमि का निरन्तर काबिज काश्त होने तथा आवंटन अमल दरामत राजस्व अभिलेख में होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ना ही वादीगण ने आंवटित भूमि बाबत् मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर गत

खसरा नम्बर व वर्तमान खसरा नम्बर को प्रमाणित कराया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय ने विधिसम्मत् तनकीवार निर्णय से वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को भी उक्त आधार पर खारिज कर दिया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों

द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 30–09–2004 एवं दिनांक 30–12–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य